उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(ण) एक विश्वविद्यालय जिसे काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही के रूप में जाना जायेगा;''

धारा 50 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ट) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :—

''(1-ठ) जब तक कि इस धारा के अधीन काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय तब तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।''

धारा 52 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 52 में उपधारा (2-ञ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

''(2-ट) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही का प्रथम अध्यादेश न बना लिया जाय, तब तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी का अध्यादेश, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त था, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।''

अनुसूची का संशोधन

5—मूल अधिनियम की अनुसूची में —

(क) क्रम संख्या 19 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेगी, अर्थातः—

''19—माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर

(एक) काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की स्थापना होने तक	मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही (संत रविदास नगर) जिले
(दो) काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की स्थापना हो जाने पर	मिर्जापुर, सोनभद्र जिले ''

(ख) क्रम संख्या 20 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

''21 काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही भदोही(संत रविदास नगर) जिला''

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार, काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी अवधि के दौरान, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों को संशोधित और समेकित करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) अधिनियमित किया गया है।

राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु राज्य में नये विश्वविद्यालयों को स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला भदोही (संत रविदास नगर) में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु एक नये राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही जिला का सबसे पुराना, प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक छात्र संख्या वाला महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किये जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार होगा, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा, भदोही और आसपास के जिलों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उपर्युक्त के दृष्टिगत काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही (संत रविदास नगर) को काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही के रूप में स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय

मंत्री,

उच्च शिक्षा।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 4, धारा 50, धारा 52 एवं उक्त अधिनियम की अनुसूची-5 में यथावश्यक संशोधन के प्राविधान किये जा रहे हैं। उक्त विधेयक के प्रर्वतन के आने पर राज्य की समेकित निधि से आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय होगा।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 104 सा0 विधायी–22–12–2025–(877)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

104 Sa vidhai 2025 (Rajya Viswavidyalya) data 7e